25/5/23 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील उपस्थित। अप्रार्थी वकील अनुपस्थित
पूर्व में बहस की जा चुकी है। अप्रार्थी वकील द्वारा पूर्व में एक प्रार्थना पत्र
अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 (2) CPC का पेश किया। आज
अप्रार्थी वकील अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10(2)
CPC अप्रार्थी वकील व अप्रार्थीगण की अदम हाजरी व

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरू)

हुक्म	
	अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है तत्पश्चात प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 111,128 LR Act पर बहस पूर्व मे सुनी जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर न्यायालय से निवेदन किया है कि ग्राम चौकड़ी खुर्द के खसरा संख्या 433/1 प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी की जमीन है जो जमाबंदी संवत 2075-2078 से प्रमाणित है। प्रार्थीगण अपने स्वयं के खातेदारी भूमि का माप एवं सीमांकन करवाना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की भूमि एक दूसरे से चिपते ही है अतः खसरा सं. 433/1 के साथ 432 का भी माप व सीमांकन हो ताकि भविष्य मे वाद विवाद न हो। पत्रावली का अवलोकन किया गया। स्पष्ट है कि खसरा सं. 433/1 ग्राम-चौकड़ी खुर्द व ख.सं 432 एक दूसरे से चिपते हुए है। एवं स्वयं की खातेदारी भूमि का मापचौप कर पत्थरगढ़ी कराने हेतु खातेदार अधिकारी होते है अगर दोनो ही खसरे का माप-चौप करते हुए प्रार्थीगण के खेत की पत्थरगढ़ी होती है तो भविष्य मे वाद विवाद नही होगे। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 LR Act पूर्ण स्वीकार करते हुए व अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार पीपाडशहर को आदेशित किया जाता है कि वे ग्राम चौकड़ी खुर्द के खसरा सं. 433/1 व 432 का माप चौप सीमांकन कर प्रार्थीगण के खसरा सं. 433/1 की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करें। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सीमांकन हेतु आवश्यक नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम होकर तकमील दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड शहर (जोधपुर)